दिल्ली विधान सभा समारार भाग-2

१ विधान तथा अन्य मामलों तंबंधित सामान्य जानकारी १ सोमवार, 10 जुलाई, 1995 / ाषाद 19, 1917 १्राक्र्

संख्या. 197

सदस्य की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, विल्ली विधान सभा को सम्बोधित उपायुक्त पुलिस, नई विल्ली ज़िला, नई विल्ली से विनांक 27.6.95 को निम्नलिखित संसयूना 7 जुलाई, 1995 को प्राप्त हुई थी :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी र जयक्षेत्र की विधान सभा के माननीय सदस्य श्री हाउन युतूक, को उनके अन्य अपर्थकों सहित आज अर्थात् 27.6.95 को पूर्वाह्न 11.50 बजे, पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से पुलिस के विधिसम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनयम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नज़रबन्द कर दिया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् २७.६.९५ को अपराइन १२.०७ बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया ।"

संख्या. 198

सदस्यों की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित उपायुक्त पुलिस, नई दिल्ली ज़िला, नई दिल्लो से गांक 6.7.95 की निम्नलिखित संसूचना 7 जुलाई, 1995 को प्राप्त हुई:—

" मुखे आपको ससम्मान मूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान तथा के माननीय सहस्यों सर्वशी राम भज, स्वरूप चन्द राजन, जय प्रकाश यादव, राजेन्द्र गुप्ता, बहम सिंह तंवर, नन्द किशोर गर्ग, करन सिंह तंवर, की तिं आज़ाद, हिर कृष्ण, मुरारी सिंह पंवार, फतेह सिंह, ओ. पी. बब्बर, आलोक कुमार, चाँद राम, दर्शन कुमार बहल, जय भगवान, वासदेव कप्तान, बोध राज, मदन लाल गांबा, बलबीर सिंह, नरेश गौह, भेवा राम आर्य, राम पाल कराहना, पूरन चन्द योगी, मोती लाल सोदी, देवेन्द्र सिंह, जीत राम सोलंकी, गौरों शंकर भारद्वाज, सतीश चन्द बरेडलवाल, सत प्रकाश राणा, धमदिव सोलंकी, पृो. पी. के चान्दला, डा. ज्ञान चन्द और कु पूर्णिम सेठी को उनके अन्य समर्थकों सिंहत आज अर्थात् ६० ७० को अपराहन 12.35 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से पुलिस से विध्निमम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा ६५ के अंतर्गत नज़रबन्द कर दिया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् 6.7.95 को अपराइन 1.05 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया ।"

> पी . एन गुप्ता सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)
Monday, July 10, 1995/Ashadh 19, 1917 [Saka]

No.197

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following communication dated 27.6.1995 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 7th July, 1995:-

"I have the honour to inform you that Shri Haroon Yusuf, Hon. Member of Legislative Ass-embly, N.C.T. of Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street in front of Police Station, Parliament Street, New Delhi at 11.50 A.M today i.e. 27.6.95.

He was released at 1207 hours from Police Statical Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 27.6.

No.198

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated 6.7.95 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Deput Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 7th July, 1995:-

"I have the honour to inform you that S/Sh. Ram Bhaj, Swarup Chand Rajan; Jai Prakash Yadav; Rajender Gupta Brahm Singh Tanwar; Nand Kishore Garg, Karan Singh Takirti Azad; Hari Krishan; Murari Singh Panwar; Fateh Singh; O.P. Babber; Alok Kumar, Chand Ram; Darshan Ku Bahl; Jai Bhagwan; Vasdev Kaptan; Bodh Raj; Madan Lal Balbir Singh; Naresh Gaur; Mewa Ram Arya; Ram Pal Ka Puran Chand Yogi; Moti Lal Sodhi; Devender Singh; Jeet Solanki; Gauri Shanker Bhardwaj; Satish Chandra Khand Sat Prakash Rana; Dharam Dev Solanki; Prof. P.K. Chan Dr. Gyan Chand and Km. Purnima Sethi Hon. Members of Legislative Assembly, N.C.T. of Delhi alongwith their supporters were detained under section 65 of Delhi Polact, 1978 for disobeying the lawful directions of Polifrom Parliament Street, in front of Police Station, Paliament Street, New Delhi at 12.35 p.M. today i.e. 6.7

They were released at 1.05 P.M. from Police State Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 6.7.95